"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 516] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2015 — कार्तिक 7, शक 1937

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

आदेश

क्रमांक 10037/3462/21-ब/छ.ग./2015. — राज्य शासन, मान. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 7279/III/18-20/2006 दिनांक 11-09-2015 के परिप्रेक्ष्य में कुटुम्ब न्यायालय, अंबिकापुर (सरगुजा) हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 7453/डी-2344/21-ब/08 दिनांक 31-07-2008 एवं आदेश क्रमांक 6409/2195/21-ब/11 दिनांक 09-10-2011 द्वारा नियुक्त निम्नलिखित परामर्शदाताओं की सेवाएं आदेश जारी होने के दिनांक से समाप्त करता है :-

1.	श्री देवेश सिन्हा	परामर्शदाता/अधिवक्ता
2.	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा	परामर्शदाता/अधिवक्ता
3.	श्री ओम प्रकाश सिंह	परामर्शदाता/अधिवक्ता
4.	श्रीमती आशा जायसवाल	परामर्शदाता/अधिवक्ता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.